कार्यालय नगर परिषद गढ़वा

सैरात बन्दोवस्ती की सूचना

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2021–22 के लिए निम्नलिखित सैरातों की बन्दोबस्ती खुली डाक द्वारा निम्नांकित तिथि को 11:30 बजे पूर्वाह्न में नगर परिषद गढ़वा के कार्यालय में की जाएगी।

कमांक	सैरात का नाम	सुरक्षित जामा राशि	जमानत की राशि	डाक की तिथि
1	टैक्सी एवं टेम्पू स्टैण्ड टॉल टैक्स कृषि उत्पादन बाजार समिति छात्रावास के बगल मे मझिआंव रोड़	628000	62800	08.03.2021
2	टैक्सी एवं टेम्पू स्टैंड टॉल टैक्स सोनपुरवा	1100000	110000	10.03.2021
3	खस्सी बकरी टॉल टैक्स	11000	1100	12.03.2021

शर्तें :–

1. डाक में भाग लेने वाले व्यक्ति जमानत की राशि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से जमा करेंगे,जो Executive Officer, Nagar Parishad Garhwa के पदनाम से देय होगा।
2. उच्चतम डाक की पूरी राशि बैंक ड्राफ्ट, Executive Officer, Nagar Parishad Garhwa के नाम से पन्द्रह दिनों के अन्दर जमा करना होगा, ऐसा नहीं करने पर बन्दोबस्त निरस्त कर दी जायेगी तथा जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी।
3. उच्चतम डाक के बोली पर 3% प्रतिशत निबंधन शुल्क एवं 4% प्रतिशत स्टैम्प ड्यूटी की राशि सफल डाक वक्ता को उच्चतम बोली के साथ जोड़कर देय होगा।
4. किसी भी परिस्थिति में बन्दोबस्ती की पूरी या आंशिक राशि नहीं लौटायी जाएगी।
5. बन्दोबस्ती में पूर्व के बकायेदार एवं उनके संगे– संबंधी किसी भी परिस्थिति में भाग नहीं ले सकेंगे, एवं तथ्य को छुपा कर भाग लिया जाता है, तो जमानत की राशि जब्त करते हुए द्वितीय डाक वक्ता के साथ बन्दोबस्त करते हुए प्रथम डाक वक्ता के उपर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
6. किसी भी डाक की बोली बिना कारण रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
7. टॉल संकलन नगर परिषद गढ़वा द्वारा निर्धारित दर पर किया जायेगा।
8. साफ– सफाई की व्यवस्था बन्दोबस्तधारी द्वारा करवाया जायेगा।
9. सैरात बन्दोबस्ती में भाग लेने वाले व्यक्ति की जमानत की राशि पन्द्रह दिनों के बाद वापस की जायेगी।
10. डाक में भाग लेने वाले व्यक्ति आवेदन के साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड की छाया प्रति एवं इस बात का शपथ पत्र नोटरी पब्लिक के द्वारा देना होगा कि वे बन्दोबस्ती की पूर्ण राशि ससमय जमा कर देगे अन्यथा पूर्ण राशि नहीं देने पर उनके उपर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
11. उच्चतम डाक की बोली वाले व्यक्ति को स्टाम्प पेपर पर 10 दिनों के अन्दर एकरारनामा कराना अनिवार्य होगा।
12. सफल डाक वक्ता के द्वारा उच्चतम बोली लगाने के पश्चात् डाक लेने से इंकार किया जाता है, तो उसकी जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी।
13. टॉल संकलन की दर निम्न प्रकार से होगी:–
    1. ऑटो शहरी क्षेत्र से बाहर – 20/– (बीस रुपये) प्रतिदिन
    2. ऑटो नगर परिषद क्षेत्रान्तर्गत – 15/– (पन्द्रह रुपये) प्रति ट्रीप
    3. बस/407/607 शहरी क्षेत्र से बाहर – 20/– (बीस रुपये) प्रतिदिन
    4. कमांडर शहरी क्षेत्र से बाहर – 15/– (पन्द्रह रुपये) प्रतिदिन

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद गढ़वा।